बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–मो० –30/11– 4524 /कृ0, पटना, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय : **कृषि वर्ष 2014–15 में धान एवं अन्य खरीफ फसलों पर आयोजित कटनी प्रयोगों के सफल सम्पादन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रशासकीय कार्यों तथा खाद्य नीति के निर्धारण के लिए फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़ों की निरंतर आवश्यकता होती है। राज्य में कृषि सांख्यिकी के संग्रहण एवं संकलन का दायित्व अर्थ एवं सांख्यिकी मूल्यांकन निदेशालय को सौंपा गया है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय प्रत्येक मौसम में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़ों का संग्रहण तथा संकलन राजस्व विभागीय कर्मचारियों एवं अंचल निरीक्षकों की सहायता से करता है। राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से बहुत बड़ी राशि कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से व्यय किया जा रहा है। लक्ष्य के अनुरूप सही तरीके से जमीनी स्तर पर फसल कटनी प्रयोग सम्पादित होने से हीं राज्य के फसलों के उत्पादन में इस व्यय का फलाफल परिलक्षित हो पायेगा।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से यह सूचना मिल रही है कि राज्य में धान एवं अन्य खरीफ फसलों की बहुत अच्छी पैदावार होने वाली है। इस परिप्रेक्ष्य में फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का कार्य मुस्तैदी से सम्पन्न कराये जाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता का आकलन सही–सही हो सके। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभागीय अंचल निरीक्षक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा फसल कटनी प्रयोग का काम किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, एवं कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से भी फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन कराया जा रहा है। फसल कटनी प्रयोगों का सफलतापूर्वक संचालन हेतु फसल कटनी प्रयोगों का निरीक्षण अत्यावश्यक है। निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट है कि कौन से पदाधिकारी कितने फसल कटनी प्रयोगों का निरीक्षण करेंगे।

क्रमांक	पदाधिकारी/कार्यकर्ता	फसल कटनी प्रयोग की संख्या जिसका निरीक्षण करना है।
1	जिला पदाधिकारी	प्रत्येक कृषि वर्ष में दो प्रयोग
2	अपर समाहर्ता	प्रत्येक अनुमंडल में प्रत्येक मौसम में एक–एक प्रयोग
3	जिला विकास पदाधिकारी	प्रत्येक अनुमंडल में एक प्रयोग
4	अनुमंडल पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में दो प्रयोग
5	भूमि सुधार उप समाहर्ता	प्रत्येक मौसम में तीन प्रयोग
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में चार प्रयोग
7	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/अनुमंडल सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में छः प्रयोग
8	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रत्येक मौसम में बारह प्रयोग
9	जिला सांख्यिकी निरीक्षक	प्रत्येक मौसम में छः प्रयोग

2. इसके अतिरिक्त प्रमंडल, जिला तथा अनुमंडल स्तर पर पदस्थापित कृषि विभाग तथा सांख्यिकी निदेशालय के पदाधिकारी प्रत्येक कृषि मौसम में कम–से–कम दो गाँवों में फसल कटनी प्रयोगों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे।